

प्रपत्र - 3

वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर वनसंरक्षक/व.मं.अ. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

- 1 परियोजना का नाम :- कांकेर वन मण्डल अन्तर्गत चारामा एवं कांकेर परिक्षेत्र के चारामा से दोंदरापाल तक आष्टिकल फाइबर केबल लाईन बिछाने हेतु।
- 2 आवेदक/आवेदक विभाग का नाम :- महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स), रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड रायपुर (छ.ग.)
- 3 गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग :- चारामा से दोंदरापाल तक आष्टिकल फाइबर केबल लाईन बिछाने हेतु।
- 4 आवेदित क्षेत्र की स्थिति :- चारामा परिक्षेत्र के नारंगी वन खण्ड कक्ष क्रमांक 1474 में से रकबा 0.023 हैं, तथा कांकेर परिक्षेत्र के नारंगी वन खण्ड कक्ष क्रमांक क्रमशः 346, 354, 387, 391, 392 में से रकबा क्रमशः 0.053, 0.021, 0.003, 0.020, 0.054 हैं, एवं आरक्षित वन खण्ड माकड़ी वन खण्ड के कक्ष क्रमांक 66 में से रकबा 0.030 हैं, एवं राजस्व वन भूमि में प्रस्तावित खसरा क्रमांक क्रमशः 352, 12, 5, 352, 166, 127, 907, 366 रकबा क्रमशः 0.012, 0.007, 0.003, 0.020, 0.038, 0.013, 0.007, 0.009 हैं, इस प्रकार कुल रकबा 0.313 हैं।
- 5 वन भूमि का विस्तृत विवरण :-
 - (क) आरक्षित वन :- आरक्षित वन खण्ड माकड़ी, कक्ष क्रमांक 66
 - (ख) सीमांकित संरक्षित वन :- —
 - (ग) असीमांकित संरक्षित वन :- नारंगी वन खण्ड सिरसिदा "अ" कक्ष क्रमांक 1474, नारंगी वन खण्ड नाथियानवागांव "अ+स" कक्ष क्रमांक 346, नारंगी वन खण्ड माकड़ी खूना "स" कक्ष क्रमांक 354, नारंगी वन खण्ड कुलगांव "ब" कक्ष क्रमांक 387,

नारंगी वन खण्ड देवकोंगेरा "अ" कक्ष क्रमांक 391, नारंगी वन खण्ड कोमलपुर कक्ष क्रमांक 392

(घ) राजस्व वन क्षेत्र

:- — राजस्व वन भूमि खसरा नम्बर क्रमशः 3/1, 12, 5, 352, 166, 127, 907, 366

6 आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति, प्रकार

:- मिश्रित प्रजाति, साईट क्वालिटी चतुर्थ, घनत्व 02 से 04 है।

7 आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण

अ.क्र.	प्रजाति	कुल वृक्षों की संख्या
1	नीलगिरी	2
2	शिशु	1
3	सेन्हा	1
4	पेन्टाफोरम	30
5	सागौन	11
6	कुसुम	1
	योग —	46

8 आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति

:- पुनरुत्पादन की संभाव्यता के आधार पर पर्याप्त गुणवत्ता की नहीं है।

9 आवेदित क्षेत्र की (विशेष कर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी/वन मार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें)

:- आवश्यक नहीं है।

10 क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive

:- नहीं है।

क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बयोस्फेयर रिजर्व प्राकृतिक झील//वाटर बाडी, आदिवासी सेटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 5 वर्ग कि.मी. के अन्तर्गत है अथवा नहीं ? यदि हाँ तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।

- 11 आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वन क्षेत्र विकल्प :- आवश्यक नहीं है।
 के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है
 अथवा नहीं (विशेष कर खनिज उत्खनन प्रकरणों में
 आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर
 वन क्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार/
 राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या
 बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावे।
- 12 आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन :- निरंक
 किया गया है या नहीं ? यदि हाँ तो संक्षिप्त विवरण
 दें।

प्रमाण पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किए गए भौतिक निरीक्षण के आधार पर
 है। आवेदक द्वारा मांग की गई वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु दिये जाने की अनुशंसा की
 जाती है।

निरीक्षण स्थल - कांकेर
 चारामा से दोंदरापाल तक
 दिनांक - 6/7/17


 वन संरक्षक/वन मण्डलाधिकारी
 कांकेर वृत्त कांकेर/कांकेर वन मण्डल कांकेर
 मय सील

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी कांकेर वन मण्डल कांकेर

Phone – 07868-222006 (O), 222173 (Fax), 222171 (Fax), E-mail:dfoknk@rediffmail.com

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, चारामा से दोंदरापाल तक ऑप्टिकल फाइबर केबल लाईन बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण दिनांक 6.17/11.17 को मेरे द्वारा किया गया। बिन्दु क्रमांक (xi) के अनुसार प्रस्तावित भूमि में किसी भी प्रकार की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजाति के वनस्पति एवं वन्य जीव नहीं है तथा बिन्दु क्रमांक (xii) के अनुसार प्रस्तावित भूमि में कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक इस क्षेत्र में स्थित नहीं है।

आवेदक संस्थान के द्वारा चारामा से दोंदरापाल तक ऑप्टिकल फाइबर केबल लाईन बिछाने हेतु मांग की गई वन भूमि रकबा 0.313 हैं. परियोजना के लिए अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि में किसी भी प्रकार की कोई गैर वानिकी कार्य नहीं किया गया है।

रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड रायपुर द्वारा चारामा से दोंदरापाल “ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन” बिछाने से ग्रामों में दूरसंचार की आधुनिकतम सुविधा प्रदान करने के साथ-साथ (एस.टी.डी., इन्टरनेट, फैक्स, ई-मेल इत्यादि) की सुविधा लोगो को उपलब्ध होगी। जिससे देश के हर कोने से लोग दूरसंचार के माध्यम से जुड़ जाएंगे। ग्रामीण स्तरीय लोगो तक दूरसंचार की सुविधा उपलब्ध होने पर गाँवों के लोगो में जागरूकता आएगी तथा लोग दूरसंचार/मीडिया के माध्यम से देश में होने वाले घटनाक्रम की जानकारी त्वरित पा सकेंगे। ग्रामीणों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है।


 वन मण्डलाधिकारी
 कांकेर वन मण्डल कांकेर